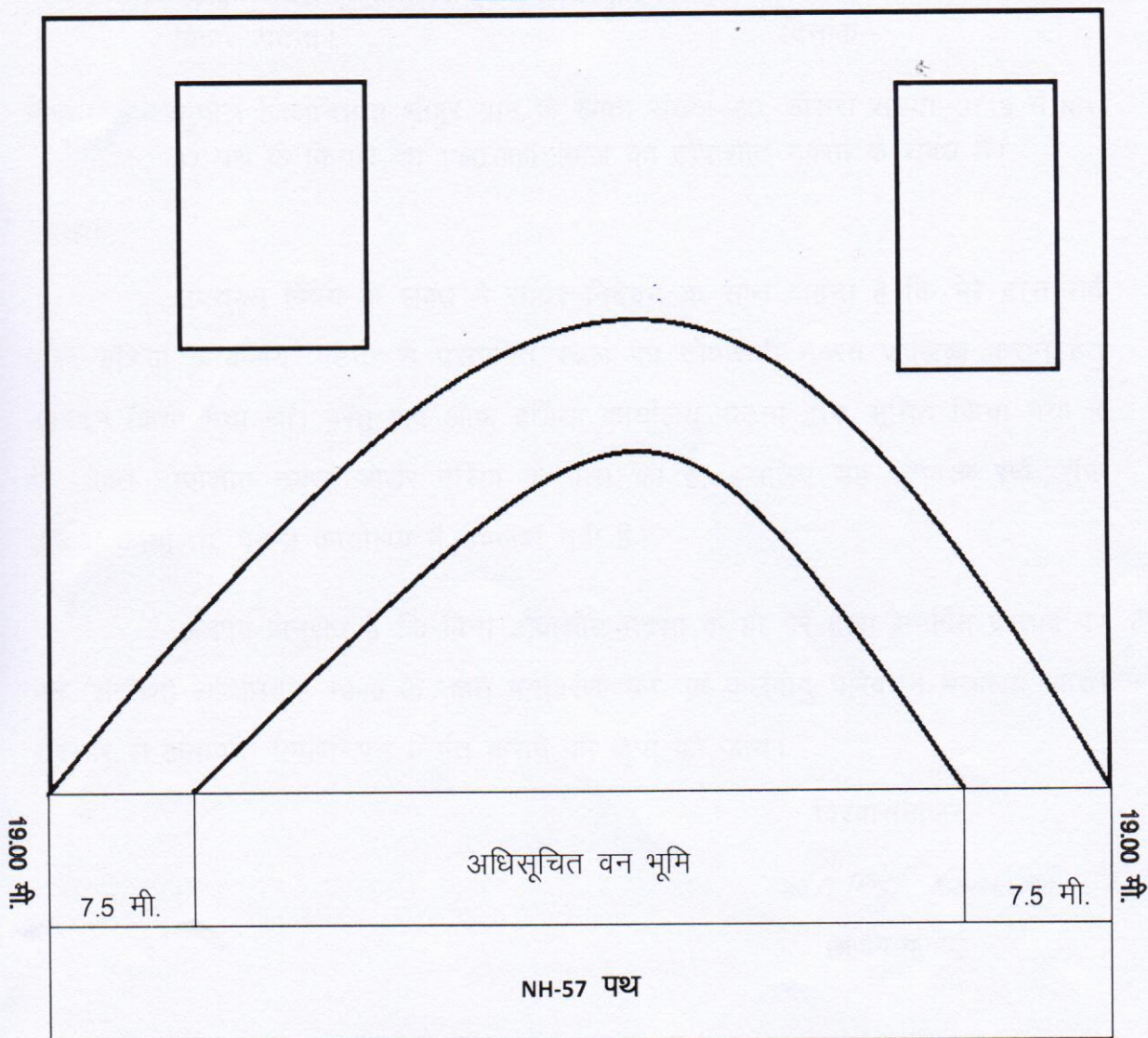


सुपौल जिलान्तर्गत श्रीपुर ग्राम के खाता संख्या-60, खेसरा संख्या-3719 में NH-57 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट खोलन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।



अपयोजन की विवरणी-

- (क) प्रवेश पथ- 7.5 मी. चौड़ाई x लम्बाई 19.00 मी. = 142.50 वर्ग मी.
 (ख) निकास पथ - 7.5 मी. चौड़ाई x लम्बाई 19.00 मी. = 142.50 वर्ग मी.
 कुल अपयोजित होने वाली वन भूमि- प्रवेश (क) + निकास (ख) = 285.00 वर्ग मी.
 अर्थात् कुल 0.0285 हे.

Ajay Kumar
 (अजय कुमार)